

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-6
संख्या-213/पांच-6-12-66सू/11
लखनऊ: दिनांक: 9 जुलाई, 2012

21-12-12

डा० सुमित वर्मा,
अमर माया इन्वलेव (पार्क के सामने),
चांदपुर रोड, बुलन्दशहर।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने
विषयक अपने पत्र दिनांक 07.05.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में भारत
सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.10 के अनुक्रम में कार्यालय-ज्ञाप
सं०-1889/पांच/6-10-23रिट /11, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 एवं कार्यालय-ज्ञाप
संख्या-2914/पांच-6-10-23 रिट/11, दिनांक 04.01.2012 शासन द्वारा निर्गत किया
गया है। प्रश्नों के उत्तर दिये जाने का प्राविधान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में
नहीं है। तदनुसार कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

(आर०एस० परिहार)
5-7-12

अनुसचिव एवं जन सूचनाधिकारी।

संख्या- (1)/पांच-6-12-तददिनांक-
प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत अनुभाग-3 के पत्र
संख्या-आर०टी०आई०-328/लो०शि०-3-12-16(265)/12, दिनांक 29.05.2012 के संदर्भ
में।

आज्ञा से,

(आर०एस० परिहार)
अनुसचिव एवं जन सूचनाधिकारी।